धन सेवा को-ऑपरेटिव (अर्बन) थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी लि०

दिल्ली सरकार का उपक्रम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के समिति पंजीयक द्वारा पंजीकृत
पंजीकृत संख्याः- 10491 (सहकारी पंजीकृत संगठन) मो०: 9818407202, 8076237573
Email : contact@dhansewa.in, dhansewa@gmail.com Web.: www.dhansewa.in

सदस्यता हेतु नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. सोसाइटी की सदस्यता रू. 1500/- है।
2. रू. 1500/- सदस्यता शुल्क में से मेरे खाते में शेयर मनी व अनिवार्य जमा में रू. 700/- ही जमा होगा।
3. सदस्यता समाप्त करने पर आपकी रकम में से रू. 200/- काट दिये जायेंगे, क्योंकि सदस्यता समाप्त शुल्क रू. 200/- है।
4. अनिवार्य जमा (C.D.) की रकम हर महीने की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य है।
5. आपको किसी भी तरह की रकम जमा करवानी है तो आप सोसाइटी कार्यालय में जमा करवायें। आप वह रकम किसी सदस्य व एजेन्ट द्वारा जमा करते हैं तो उस रकम की सोसाइटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो रकम आप जमा करवाते है उस रकम की रसीद अवश्य लें।
6. सोसाइटी द्वारा लगाये जाने वाले शुल्क :-
   - A. चैक वापसी/ECS वापसी शुल्क .... रू. 350/-
   - B. डुप्लीकेट पास बुक .... रू. 100/-
   - C. खाता बन्द शुल्क .... रू. 200/-
   - D. SMS शुल्क वार्षिक .... रू. 50/-
7. नई सदस्यता लेने पर साक्षी के हस्ताक्षर अनिवार्य है। साक्षी परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए।
8. दिल्ली राज्य से बाहर की सदस्यता स्वीकार्य नहीं है।
9. सदस्यता फार्म पर सभी सूचनाएं सत्यता के साथ भरें। गलत सूचना देने पर फार्म निरस्त हो सकता है।

ऋण हेतु नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. सदस्यता रू. 1500/- से लेने पर ऋण 6 महीने के बाद दिया जायेगा और नई सदस्यता रू. 3500/- से लेने पर आपातकालीन ऋण अगले महीने दिया जायेगा। आपातकालीन ऋण लेने पर गवाह 1 वर्ष पुराना होना चाहिए या उनकी सदस्यता रू. 3500/- से होनी चाहिए।
2. ऋण लेने समय शेयर मनी/अनिवार्य जमा में ऋण स्वीकृती का 20% रकम होनी चाहिए।
   - A. अनिवार्य जमा हर महीने आना चाहिए, उसी सदस्य को ऋण दिया जायेगा।
   - B. सदस्यता 6 महीने होने से पहले ऋण की रकम 10,000/-रूपये होगी।
   - C. सदस्यता 6 महीने होने के बाद ऋण की रकम 25,000/-रूपये होगी।
   - D. ऋण फार्म भरने के एक माह के बाद ऋण दिया जायेगा। हर महीने की 12 तारीख के बाद ऋण दिया जायेगा।
   - E. गृहिणी (हाउस वाईफ) अधिकतम ऋण 50,000/-रूपये है।
3. ऋण लेने के लिए आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. ऋण फार्म प्रबन्धक समिति के द्वारा पास होने के दो महीने के अन्दर ऋण नहीं लेते हैं तो ऋण फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
5. सदस्य का पता सत्यापित होने के बाद ऋण दिया जायेगा। जो कि भारतीय डाक द्वारा कराया जायेगा।
6. बैंक से हस्ताक्षर सत्यापित होने के बाद ऋण दिया जायेगा।
7. ऋण का फार्म 01 तारीख से 15 तारीख तक जमा करना है। 15 तारीख के बाद ऋण फार्म नहीं लिया जायेगा।
8. 01 तारीख से 10 तारीख तक ऋण की किस्त जमा करने पर 1.25 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
9. कोई भी सदस्य 01 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कैसा भी ऋण लेता है तो उससे पूरे महीने का ब्याज लिया जायेगा।
10. 10 तारीख के बाद ऋण की किस्त जमा करने पर 1.5 प्रतिशत ब्याज और 31 तारीख के बाद ऋण की किस्त जमा करने पर 100/-रूपये का जुर्माना भी देना होगा।
11. सदस्य को ऋण लेते समय सदस्य अपना ही चैक गारन्टर के तौर पर लगाये और सदस्य के ही नाम से ऋण की रकम का चैक दिया जायेगा।
12. ऋण लेते समय ऋण स्वीकृत राशि का 2% (Processing Charges) प्रसंस्करण शुल्क देना होगा।
13. सदस्य ऋण लेता है और वह किरायेदार है तो उसको एक गारन्टर मकान मालिक देना होगा।
14. ऋण की किस्त की अदायगी के लिए आपको चैक देने होंगें।
15. ऋण फार्म पर सभी सूचनाएं सत्यता के साथ भरें। गलत सूचना देने पर फार्म निरस्त हो सकता है।

गारन्टर हेतु नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. एक ही परिवार के गारन्टर नहीं होने चाहिए।
2. एक सदस्य तीन सदस्यों के ऋण फार्म पर हस्ताक्षर कर सकता है।
   - A. सदस्य के ऋण फार्म पर गारन्टर हस्ताक्षर करता है तो उसकी शेयर मनी में ऋण स्वीकृत का 10% शेयर मनी होनी चाहिए।
   - B. रू. 25,000/- ऋण पर गारन्टर हस्ताक्षर करता है तो उसकी सदस्य 6 माह पुरानी होनी चाहिए।
   - C. रू. 50,000/- ऋण पर गारन्टर हस्ताक्षर करता है तो उसकी सदस्यता 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए।
3. अनिवार्य जमा (C.D.) हर महीने रू. 200/- जमा करना अनिवार्य है। जो सदस्य अनिवार्य जमा हर महीने जमा नहीं करता है तो वह सदस्य गारन्टी नहीं दे सकता है।
4. ऋण फार्म भरने हेतु समिति कार्यालय में गारन्टरों को आना अनिवार्य है।
5. गृहणी (हाउस वाईफ)/60 वर्ष से ऊपर आयु वाले सदस्य और अंगूठा लगाने वाले सदस्य की गारन्टी मान्य नहीं होगी।
6. गारन्टर ऋण फार्म पर सभी सूचनाएं सत्यता के साथ भरें। गलत सूचना देने पर फार्म निरस्त हो सकता है।
7. ऋण 50,000/-रूपये तक 2 गारन्टर चाहिए एवं ऋण 50,000/-रूपये से अधिक लेने पर 3 गारन्टर चाहिए।
8. किसी भी सदस्य के ऋण पर दोनों/तीनों गारन्टरों में महिला मान्य नहीं होगी।